



राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
Rajasthan University of Health Sciences

सेक्टर-18, कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर -302033

दूरभाष : 0141-2791928, फ़ैक्स : 0141-2795550

150*

एफ-2()संस्थापन-1/राज.स्वा.वि.वि./जयपुर/2023 48944

दिनांक 7.1.3.2024

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक No. 5(5)FD/Insurance/2020 Dated 09.04.21 and Memorandum No. F. 1(4)FD/Rules/2021 Dated 15.04.21 द्वारा राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आर.जी.एच.एस.) कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने के क्रम में इस विश्वविद्यालय की प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 04.12.2021 के एजेण्डा सं. 29 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आर.जी.एच.एस.) कैशलेस चिकित्सा सुविधा वित्तीय वर्ष 2022-23 से ली जा रही है।

निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग (कार्यालय राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना), राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक F-1(258)RGHS/SAB LETTERS/2022-23/492 दिनांक 23.11.2022 द्वारा आर.जी.एच.एस. के अन्तर्गत स्वायत्तशासी संस्थानों के अन्तर्गत लाभार्थियों का कैशलेस आईपीडी/ओपीडी/डे-केयर की सुविधा हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित किये गये दौ पैकेज में से पैकेज-2(रु. 10500/- (प्रति वर्ष)) में "10 लाख प्रति वर्ष प्रति परिवार आईपीडी तथा 20 हजार तक ओपीडी तथा चिन्हित गंभीर बीमारियों में यथा आवश्यकता ओपीडी की सीमा में वृद्धि का प्रावधान" का अनुमोदन किया गया है।(पत्रावली के पैरा सं. 274 से 280 पर सक्षम स्तर से अनुमोदन)

इस विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आर.जी.एच.एस.) सुविधा लागू किये जाने हेतु कार्मिक 43 का (प्रति कार्मिक राशि रु. 10500/- × 43 = 04,51,500/-) कुल राशि रु. 04,51,500 (अक्षरे राशि रु. चार लाख इक्कावन हजार पांच सौ मात्र) का भुगतान परियोजना निदेशक, आ.जी.एच.एस. (राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग) को भुगतान किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(रवि विज्ञय)

कुलसचिव

एफ-2()संस्थापन-1/राज.स्वा.वि.वि./जयपुर/2024 48945-948

दिनांक 7.1.3.2024

प्रतिलिपि निम्नांकित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर।
2. निजी सहायक, कुलसचिव/वित्त नियन्त्रक, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर।
3. आहरण एवं वितरण अधिकारी, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त राशि को राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग (बीमा विभाग के बजट मद 8342-00-120-(69)) में ई-ग्रान्स चालान के माध्यम से राशि जमा कराते हुये संस्थापन-1 अनुभाग को प्रति उपलब्ध करावें तथा विश्वविद्यालय कोष से आर.जी.एच.एस. हेतु जमा कराई गई उक्त राशि को संलग्न 43 कार्मिकों को देय वेतन अप्रैल, 2024 से प्रत्येक कार्मिक के वेतन से राशि रु. 875/- प्रतिमाह की कटौती कर विश्वविद्यालय कोष में जमा करना सुनिश्चित करें।
4. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. बलवीर सिंह राठौड़)

अतिरिक्त कुलसचिव एवं

प्रभारी अधिकारी संस्थापन-1